कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद।
दिनांक : 16.02.2023

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन के अनुपालन में कई न्यायिक अधिकारियों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप माननीय जनपद न्यायाधीश से विचार विमर्श के उपरान्त न्यायिक कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु थानो के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में पूर्व में पारित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत क्षेत्राधिकार वितरित किया जाता है:–

1. थाना **पूरामुफती** का क्षेत्राधिकार न्यायालय *अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 04 इलाहाबाद* से वापस लेते हुए न्यायालय *अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 07 इलाहाबाद* को प्रदान किया जाता है।

2. थाना **धूमनगंज** का क्षेत्राधिकार *न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 04 इलाहाबाद* से वापस लेते हुए *न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 09 इलाहाबाद* को प्रदान किया जाता है।

3. थाना **हंडिया** का क्षेत्राधिकार *न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 08 इलाहाबाद* से वापस लेते हुए *न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 10 इलाहाबाद* को प्रदान किया जाता है।

4. थाना **होलागढ** का क्षेत्राधिकार *न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 04 इलाहाबाद* से वापस लेते हुए *न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 03 इलाहाबाद* को प्रदान किया जाता है।

5. थाना **नवाबगंज** का क्षेत्राधिकार *न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 08 इलाहाबाद* से वापस लेते हुए *न्यायालय अपर सिविल जज क0श्रे0, कक्ष संख्या 21 इलाहाबाद* को प्रदान किया जाता है।

6. **नगर निगम** एवं **जिला पंचायत अधिनियम** का क्षेत्राधिकार *न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 08 इलाहाबाद* से वापस लेते हुए *न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 18 इलाहाबाद* को प्रदान किया जाता है।

समस्त फौजदारी न्यायालय के लिपिकगण को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त क्षेत्राधीकर से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियों को उनके क्षेत्राधिकारी वाले थाने के न्यायालय में

अविलम्ब प्राप्त कराये तथा स्थानान्तरित पत्रावलियों को सी0आई0एस0 कम्प्युटर के माध्यम से सम्बन्धित थाने के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही कराये।

उक्त आदेश दिनांक 16.02.2023 तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। आदेश की प्रति सर्वसंबंधी को प्रेषित हो।

दिनांक 16.02.2023

(दिनेश कुमार गौतम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इलाहाबाद।

प्रतिलिपिः—

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय को अनुमोदनार्थ एवं सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. श्रीमान् नोडल अधिकारी , कम्प्यूटर अनुभाग को जनपद न्यायालय की बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सादर प्रेषित।
3. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जनपद न्यायालय इलाहाबाद।
4. आदेश की एक—एक प्रति न्यायालय के सूचना पटल नजारत अनुभाग के सूचना पटल एंव अधिवक्ता संघ भवन के सूचना पटल पर चस्पा की जाये।

16/2/23

(दिनेश कुमार गौतम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इलाहाबाद।